



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:mel-ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/RAP/Lst-66/NGP

दिनांक -07/01/2019

प्रेषित- श्री केदार अग्रवाल, खान मालिक

C/66, Sector-4.

देवेंद्र नगर,

जिला-रायपुर(सी.जी.)-492004

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपकी पथराकुंडी चूना खदान 9.716 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 18.12.2018 by undersigned accompanied by Sri Kedar Agarwal, Mine Owner.

Rule	Nature of Violation observed
11(1)	Mining operations should have been undertaken in accordance with the approved Mining Plan. The Modified Mining Plan was approved vide letter no. राय/चूना/खयो-1085/नाग/2017-रायपुर dated 15.05.2017 and following deviation was observed during inspection 1. It was observed that exploration of 5 nos of boreholes was proposed in 2017-18 but till date no exploration was done. 2. It was proposed to work in one pit in western part of ML but excavation was in almost entire part of ML in three nos(from east to west) of pits. 3. In 2017-18, 1400 nos plantation is proposed but no plantation was done within mining area.
Rule 55	For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,-3.every holder of a mining lease shall employ, in case of- iii.category 'A' mines, a whole-time mining engineer and a geologist; But it was observed no Geologist has been appointed.

- 2 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

